

सूचना विवरणिका

उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025

(शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बी०एस०सी० नर्सिंग पाठ्यक्रम में)

राजकीय एवं निजी नर्सिंग संस्थानों में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत

हैल्पलाईन नम्बर 8006516772

टैक्नीकल हैल्पलाईन: 7676593483

वेबसाईट : www.hnbumu.ac.in, ई-मेल : uknursingpara@gmail.com

उत्तराखण्ड बी0एस-सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 से सम्बन्धित
विशेष तिथियाँ

1	ऑनलाईन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि	05.07.2025	
2	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र/ऑनलाईन शुल्क जमा करने की तिथि	05.07.2025 से 25.07.2025 (साय 05:00 बजे तक)	
3	प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की तिथि	26.07.2025 को अपराह्न 01:00 बजे से	
4	परीक्षा की तिथि	02.08. 2025 (शनिवार)	10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक

अनुक्रमणिका

क्र० स०	विवरण
1	प्रस्तावना
2	उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के सन्दर्भ में नियम व शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश
3	उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें
4	आरक्षण सम्बन्धी नियम
5	उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का कार्यक्रम
6	उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 परीक्षा केन्द्र
7	प्रवेश पत्र
8	अनुचित साधनों का प्रयोग
9	उत्तराखण्ड बी०एस०सी० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा
10	काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचना
11	न्यायिक विवाद

प्रस्तावना:—

1. शासन के पत्रांक 119/XXVIII(6)/2024 (E-88587) दिनांक 04 जुलाई 2025 के क्रम शैक्षणिक सत्र 2025–26 में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड राज्य स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय/राज्य सरकार को होगा। जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय की बैवसाईट के माध्यम से ही अपलोड कर दी जायेगी।
2. नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतु मानको को भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा जैसा कि समय-समय पर प्रकाशित होंगे किया जायेगा (बी0एस-सी0 नर्सिंग कार्यक्रम के संशोधित नियम एवं पाठ्यक्रम), विनियम, 2020 (भारत सरकार के राजपत्र संख्या 275 दिनांक 05.07.2021)
- 2.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस सूचना विवरणिका का भली-भांति अध्ययन कर लें। आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। सूचना विवरणिका के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशो (आरक्षण संबंधी एवं अन्य) एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मान्य होंगे।
- 2.2 आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः online होगी। इसमें सभी वांछित सूचनाएँ यथा स्थान त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। किसी भी दशा में जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पत्राचार का पूरा पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल पता online आवेदन पत्र में दिये गये निश्चित स्थान पर पूर्ण एवं सही-सही भरें।
- 2.4 Online आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत एक मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो) की सूचना भरनी अनिवार्य होगी
- 2.5 उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों लिए शुल्क प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 2000.00 (रूपया दो हजार मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 1500.00 (रूपया हजार पाँच सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।
- 2.6 काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित वांछित प्रमाण-पत्रों (यथा शैक्षणिक/जाति/ [उपजाति/पंजीकरण](#) प्रमाण पत्र इत्यादि) की जानकारी यथा स्थान पर भरनी अनिवार्य होगी।
- 2.7 अभ्यर्थी को आवेदन-पत्रों में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की प्रवेश परीक्षा में मांगी/भरी गई श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी, परन्तु काउंसिलिंग के समय काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर प्रमाण-पत्रों का अवलोकन/सत्यापन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु पात्र है अथवा नहीं। इस विषय पर काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केवल इस आधार पर कि उसे उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में बैठने की अनुमति दे दी गयी थी, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं हो पाएगा।
- 2.8 यदि कोई इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम की आनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचना एवं परीक्षा केन्द्र में, कोई भी परिवर्तन चाहता है तो अभ्यर्थी को पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही, संशोधन हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रूपया 200/- (रूपया दो सौ) देकर पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही पूर्ण रूप से भरना होगा। प्रत्येक संशोधन के पश्चात पूर्व में किया गया आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिये आवेदन ई-मेल/दूरभाष के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 2.9 एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 2.10 अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की printed copy अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिए अवश्य रखे। भविष्य में पत्र-व्यवहार हेतु आवेदन-पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
- 2.11 ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) जो परीक्षा के समय दी जायेगी, उसमें (Black) काले बॉल प्वाइन्ट पेन (Ball-point Pen) का ही प्रयोग करें। जो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 2.12 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में अवश्य उपस्थित हो जाये, ताकि ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) पर वांछित विवरण ठीक प्रकार से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
- 2.13 किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 2.14 वह अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा का परीक्षाफल किसी भी कारण से काउन्सिलिंग तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे किसी भी स्थिति में आवंटन/प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे। जो अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिये प्रतीक्षारत हैं, वे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- 2.15 उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में मात्र सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियमों के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 2.16 अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना यदि गलत पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश पा लिया गया हो तो भी उसका प्रवेश तत्काल निरस्त माना जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 2.17 वे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं है फिर भी सम्मिलित होते हैं, वे उक्त परिस्थिति में किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तों को पहले से ही स्वयं सुनिश्चित कर लें।
- 2.18 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसने उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया है तथा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो उसका जमा परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्षों के किसी भी उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 2.19 पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के अंगूठे के निशान प्रवेश परीक्षा देते समय संबंधित परीक्षा केन्द्र पर लिये जायेंगे।
- 2.20 परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी सेटों की उत्तर कुंजी (Answer key) विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.hnbmu.ac.in** के माध्यम से परीक्षा उपरान्त अपलोड की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी कतिपय प्रश्न/प्रश्नों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कराई गई उत्तर कुंजी के सही उत्तर विकल्प/विकल्पों से संतुष्ट नहीं है और यदि प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे उत्तर कुंजी अपलोड करने के **तीन दिन के भीतर** प्रति प्रश्न रु० 200.00 के दर से कुल धनराशि केवल आन-लाईन आधार पर बैवसाईट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा करनी अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त यदि अपलोड उत्तर कुंजी में वास्तव में उत्तर भिन्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उस प्रश्न की निर्धारित राशि अर्थात् रु० 200.00 प्रति प्रश्न वापस लौटा दी जायेगी। और यदि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार ही उत्तर सही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- 2.21** यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट में उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित अंक से संतुष्ट नहीं हो और वह इस चुनौती देना चाहता है तो उसे विश्वविद्यालय की बैवसाईट में परीक्षा परीणाम घोषित हो जाने की तिथि से **05 दिनों के भीतर** आवेदन कर अपने ओ0एम0आर0 का Manual Assessment करा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को शुल्क स्वरूप रु0 2000.00 की धनराशि केवल आन-लाईन आधार पर बैवसाईट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जमा करनी अनिवार्य होगी। उक्त समय सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि संबंधित अभ्यर्थी के manual assessment में विश्वविद्यालय स्तर से कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इस पर सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित evaluation committee को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया जाएगा तथा evaluation committee की संस्तुति पर तदनुसार अद्यतन मेरिट सूची जारी की जायेगी और संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में जमा कराये गये रु0 2000.00 की राशि लौटा दी जायेगी। यदि उस अभ्यर्थी का अंक परिणाम पूर्ववत् ही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 2.22** उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी अनुचित साधनो का इस्तेमाल करते हुये पाया गया तो उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त समझा जायेगा। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा न्यायिक प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
- 2.23** आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक गलत तथा तथ्यों से परे सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त (जैसी भी स्थिति हो) अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित नर्सिंग कालेज के प्राचार्य तथा इससे पूर्व परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था/विश्वविद्यालय अथवा काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- 2.24** परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाइल फोन आदि) लाना वर्जित है। इस प्रकार का कार्य अनुचित साधन का उपयोग माना जायेगा।
- 2.25** उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 प्रवेश परीक्षा की सूचना विवरणिका में टंकित किसी भी सूचना/नियम/ अर्हता/कार्यवाही में किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की गयी व्याख्या ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी।
- 2.26** उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल एक वर्ष के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे।
- 2.27** नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हतायें लागू होंगी।
- 2.28** उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको सूचना विवरणिका (Brochure 2025) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

3. उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होंगी-

3.1 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

3.2 आयु सीमा

केवल बी0एस0सी0 नर्सिंग परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष दिनांक 31.12.2025 को पूर्ण होनी आवश्यक है,

3.3 शैक्षणिक अर्हताएं :-

(क) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त राजकीय नर्सिंग संस्थानों की 100 प्रतिशत एवं निजी नर्सिंग संस्थानों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्हता:-

- उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो,

अथवा

- ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी नहीं हैं तथा जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे, परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे,

अथवा

- उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों उत्तराखण्ड राज्य के बाहर(अन्य राज्य) स्थित ISSCE/CBSE/ICSE/SSCE/HSCE बोर्ड अथवा अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण की हो, जिसमें 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो,

3.4 भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की अर्हकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में केवल उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5 प्रतिशत की छूट होगी।

3.5 अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा।

3.6 अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए।

3.7 एन0आई0ओ0एस0 (National Institute of Open School) से 10+2 परीक्षा विज्ञान विषय में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी भी बी0एस0सी0 नर्सिंग हेतु अर्ह होंगे। 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) एवं अंग्रेजी मुख्य/वैकल्पिक विषय के रूप में प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण की हो तथा 10+2 परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में औसत 45 प्रतिशत अंकों (न्यूनतम) से उत्तीर्ण की हो।

3.8 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार किसी पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हुआ हो, तो वह भी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

4. आरक्षण सम्बन्धी नियम

- 4.1 उत्तराखण्ड बी0एस-सी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 4.2 किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउंसिलिंग तक मान्य प्रमाण पत्र सूचना भरनी अनिवार्य होगी। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
- 4.3 ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र आई0एन0सी0, नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंसिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली-भाँति जाँच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 4.4 उत्तराखण्ड बी0एस-सी0 प्रवेश परीक्षा-2025 में उपरोक्तानुसार श्रेणी/उपश्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने की दशा में रिक्त रहने पर अंतिम चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी।
- 4.5 राजकीय/ निजी क्षेत्र में स्थित नर्सिंग कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbmu.ac.in पर पृथक से प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4.7 राजकीय विभागों में सेवारत नियमित नर्सिंग कर्मियों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
- 4.8 शासनदेश संख्या 570/कार्मिक-2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (DPW) हेतु आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिकों के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितों को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- 4.9 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्र 2025-26 के लिये मान्य/निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5. उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का कार्यक्रम:-

बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम।

दिनांक एवं दिन	समय	प्रश्न-पत्र	प्रश्नों की संख्या
02.08.2025 शनिवार	पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	इण्टरमीडिएट (10+2) 1. रसायन विज्ञान 2. भौतिक विज्ञान 3. जीव विज्ञान 4. अंग्रेजी 5. नर्सिंग अभिक्षमता	<u>20</u> <u>20</u> <u>20</u> <u>20</u> <u>20</u>

- भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम सामान्य अभ्यर्थियों हेतु 50 Percentile, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 40 Percentile, सामान्य दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु 45 Percentile लाना अनिवार्य होगा।
- बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानकानुसार उपरोक्त विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे जिसमें बी0एस0सी0 नर्सिंग के लिए आई0एन0सी0 द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.0 अंक होगा और पूर्णांक अंक 100 होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 घन्टों का होगा।
- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वोपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा गलत/उत्तर नही देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं का **manual assessment** उपरोक्त प्रवेश विवरणिका के बिन्दु संख्या- 2.21 में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।
- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्ष निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको विवरण पुस्तिका (Brochure 2025) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

6. उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का परीक्षा केन्द्र :-

उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित जनपदों पर आयोजित की जाएगी :-

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा जनपद कोड
देहरादून	1
पौड़ी गढ़वाल (श्रीनगर)	2
नई टिहरी	3
चमोली (गोपेश्वर)	4
हरिद्वार	5
नैनीताल (हल्द्वानी)	6
पिथौरागढ़	7
अल्मोड़ा	8
उत्तरकाशी	9
चम्पावत	10
उधम सिंह नगर	11
बागेश्वर	12
रुद्रप्रयाग	13

परन्तु विश्वविद्यालय को न्यूनतम छात्र संख्या की आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रत्येक अभ्यर्थी को आन-लाईन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उपरोक्त में से न्यूनतम तीन परीक्षा केन्द्रों का अपनी वरियता के क्रम में विकल्प भरना अनिवार्य होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्रों को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं होगा।

अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार भरी गयी परीक्षा केन्द्रों की च्वाइस में से किसी एक परीक्षा केन्द्र का विश्वविद्यालय द्वारा आवंटन किया जायेगा। अभ्यर्थी को केवल विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र (Admit Card) सभी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने के समय अवश्य साथ लेकर आये तथा अभ्यर्थी यह प्रवेश पत्र तब तक सुरक्षित रखें जब तक प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होकर संपन्न न हो जाए। साथ ही अभ्यर्थी **online** आवेदन करते समय अंकित किया गया मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड सम्पूर्ण परीक्षा पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें। साथ ही प्रवेश परीक्षा देते समय परीक्षा केन्द्र में आनलाईन अपलोड किये गये **फोटो पहचान पत्र (आई0डी0)** की मूल प्रति भी अनिवार्य रूप से साथ लायें।

8. अनुचित साधनों का प्रयोग (Unfair means)

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, चाहे उसका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को बिना किसी लिखित सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय/विभाग/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा

9.1 उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत परीक्षाफल (स्कोर कार्ड) उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को पृथक से स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। यदि इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से परीक्षाफल प्रकाशित किया जाता है एवं उसमें कोई गलतियां रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं होता है इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली विश्वविद्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे व इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

9.2 उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की मेरिट के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट क्रम निर्धारित की जाएगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के नामों की वर्णमाला के क्रम से मेरिट निर्धारित की जाएगी।

10 काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचना

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

10.1 उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस-सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित नर्सिंग कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की संख्या विश्वविद्यालय/राज्य नर्सिंग काउन्सिल उत्तराखण्ड/उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत राज्य कोटे की सीटों की विस्तृत विवरण काउन्सिलिंग से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पृथक से अपलोड किया जायेगा।

10.2 विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से सम्पन्न कराई जाए। काउन्सिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ /महत्वपूर्ण निर्देश समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।

- 10.3** उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय काउन्सिलिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर निर्धारित नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- 10.4** केवल उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का राज्य कोटों की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियम काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 10.5** काउंसिलिंग के विभिन्न चरणों तथा प्रतिभाग करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें तथा अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों की सूचना भरे जाने का विवरण पृथक से वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 10.6** उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 काउन्सिलिंग [बोर्ड/उत्तराखण्ड](#) शासन के पास सुरक्षित होगा।
- 10.7** काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाएँ समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 10.8** परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोतरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- 10.9** सीटों के विवरण में सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
- 10.10** संस्थान विशेष की पाठ्यक्रमवार शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस इत्यादि काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाएंगे। उपरोक्त विषय में उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 10.11** सम्पूर्ण काउन्सिलिंग समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्प एवं मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर आवंटित संस्थान में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

9. न्यायिक विवाद :-

उत्तराखण्ड बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2025 परीक्षा एवं प्रवेश से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड राज्याधीन न्यायालय के अधीन होंगे।

=Disclaimer=

- Instances of provision of incorrect information detected at any stage of the selection process will automatically disqualify the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear for **Uttarakhand BSc.(N) Entrance Examination-2025** in future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect and the Principal/Dean of the concerned college/ institute shall have the authority to cancel admission of the candidate and to proceed with legal action against him/her as all the information/ documents furnished by the candidate will be scrutinized /verified by competent authorities, after admission in the concerned college/institute.
- The statement made in information bulletin and all information contained herein are believed to be correct at the time of publication /uploading in the website. However, the University/ Uttarakhand Government reserve the right to make any change without notice, changes and additions to the regulations/conditions governing the admission procedure, conduct of students, requirements for degree, fees and any other information, or statements contained in this information bulletin at any time. University/ Uttarakhand Government will not be responsible for hardship or expense incurred by the candidates or any other person or persons for such changes, additions, omissions or errors, no matter how they are caused.
- In case of any ambiguity in interpretation of any the instructions /terms /rules/criteria regarding counseling, the interpretation of the Counseling Board shall be final and binding.
- In view of the latest information and procedure of Entrance exam/counselling will be uploaded on University website on the basis of directions/advisories received from Govt. of India/ Govt of Uttarakhand/ INC/ SNC/Counseling board from time to time. The latest directions uploaded on the website by UK State Nursing counselling board will only be applicable and will replace any such condition/term/rules mentioned in the information bulletin. The decision taken by UK State Nursing counselling board in view of related to procedure of Entrance Exam/counselling will be applicable at all time. Hence candidates are advised to visit the university website regularly for any update. No separate information will be sent to the candidate